



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 104 राँची, बुधवार,

9 मार्च, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

24 फरवरी, 2022

संख्या-5/आरोप-1-9/2021-2197 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री रविरंजन कुमार विक्रम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-696/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल, राँची के विरुद्ध CNT Act की धारा-46 का उल्लंघन करने एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 (1)(i)(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त सह-जिला दंडाधिकारी, राँची का कार्यालय पत्रांक-256(ii)/स्था०, दिनांक 20.02.2021 द्वारा गठित आरोप-पत्र (प्रपत्र-‘क’) में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्री विक्रम के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री विक्रम को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित

बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री विक्रम द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री रामाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री विक्रम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAVI RANJAN KR VIKRAM BHR/BAS/3137	श्री रविरंजन कुमार विक्रम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-696/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल, राँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री रविरंजन कुमार विक्रम, झा०प्र०से० एवं श्री रामाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3282
